

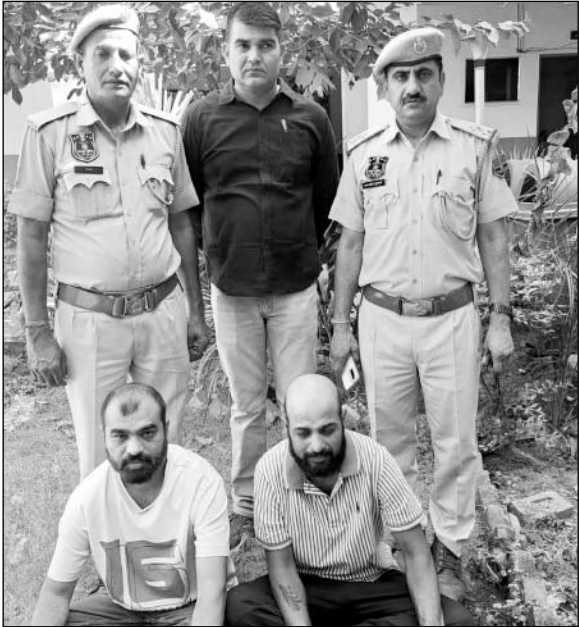
संपत्ति किराए पर लेकर फर्जी कागजात से कब्जा करने वाले दो शातिर भाई गिरफ्तार

मकानों का कब्जा खाली करने के बदले मोटी रकम मांगते थे आरोपी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किराए पर ली गई व्यावसायिक या आवासीय संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर अवैध कब्जा करने और बाद में संपत्ति खाली करने के बदले मोटी रकम मांगने वाले दो शातिर भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तैयार किए गए कूटरचित खरीद इकरारनामा और भुगतान रसीद सहित फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पुलिस पृष्ठताछ में आरोपियों की इसी तरीके से संपत्ति विवाद खड़ा कर रकम ठेठने की कार्यप्रणाली सामने आई है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिन सिंह भाटी (42) और उसका भाई सुमितसिंह उर्फ खत्री (42) मूल रूप से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर के रहने वाले हैं। दोनों वर्तमान में वैशाली नगर विस्तार, भांकरोटा में रह रहे थे।

आरोपी सचिन सिंह के खिलाफ पानी का प्लांट लगाने के नाम पर अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने के मामले जोधपुर, जयपुर और हिमाचल प्रदेश सहित कई स्थानों पर दर्ज हैं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,



व्यावसायिक-आवासीय संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर अवैध कब्जा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा।

वैशाली नगर और चित्रकूट थानों में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले भी दर्ज हैं। वहीं सुमित सिंह के खिलाफ

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, देव नगर, महिला थाना जोधपुर और झोटवाड़ा थाने में एनडीपीएस एक्ट, चोरी और मारपीट सहित पांच मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी रायसल सिंह ने

- पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तैयार किए गए कूटरचित खरीद इकरारनामा और भुगतान रसीद सहित फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं।**

बताया कि परिवारी सांवरमल अग्रवाल ने 5 फरवरी 2026 को न्यायालय के इस्तोफा से जरिए झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था कि किराएदार सचिन सिंह और उसके भाई सुमित सिंह ने मिलकर उनकी किराए की संपत्ति का फर्जी खरीद इकरारनामा और भुगतान रसीद तैयार कर ली और फैक्ट्री पर अवैध कब्जा कर लिया।

आरोपियों ने फैक्ट्री खाली करने के बदले परिवारी से मोटी रकम की मांग भी की। इस पर झोटवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। जहां टीम को जांच के दौरान आरोपी सचिनसिंह संपत्ति की वैध खरीद से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बावजूद मुकदमा दर्ज होने के बाद उसने परिवारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मामला दायर कर दिया और वहां फर्जी भुगतान रसीद और खरीद इकरारनामा पेश कर दिया। पुलिस ने अदालत में पेश किए गए इन दस्तावेजों

अपने ही घर से गहने चुराकर जयपुर में बेचने वाला पुलिस के हथ्थे चढ़ा

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने बरामद किए

जयपुर। जालपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड स्थित अपने ही घर से करीब 20 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर जयपुर में बेचने की फिराक में घूम रहे अठारह वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण पूरी तरह बरामद कर लिए हैं। आरोपी चोरी के जेवर बेचने के लिए जयपुर आया था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ कर रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि जालपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड स्थित अपने ही घर से करीब बीस लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर जयपुर में बेचने की फिराक में घूम रहे 18 वर्षीय युवक दीपांशु राजपूत निवासी कोटद्वार कोतवाली जिला कोटद्वार (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर आरोपित दीपांशु ने स्वीकार किया कि उसने उत्तराखंड स्थित अपने ही घर से सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए थे। चोरी के इन जेवरों को बेचने के उद्देश्य से वह जयपुर आया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही और कब्जे से करीब बीस लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के जेवरों बरामद कर लिए।

थानाधिकारी बुजेश सिंह तंवर ने बताया कि कांस्टेबल शिवराज को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वनस्थली मार्ग स्थित रामनगर कॉलोनी में एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर



युवक को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ उसके गृह क्षेत्र के कोतवाली कोटद्वार थाने में एफआईआर पहले से दर्ज है।

जालपुरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही बरामदगी की सूचना कोटद्वार पुलिस को दे दी है। अब उत्तराखंड पुलिस के साथ समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

युवक की संदिग्ध मौत : दो दोस्तों पर हत्या का आरोप

10 हजार की रिश्तत लेते एएसआई गिरफ्तार

जयपुर। चाकसू क्षेत्र में करीब एक महीने पहले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने दो दोस्तों पर काम के बहाने युवक को बाइक से ले जाकर हत्या करने और शव तलाई के पानी में फेंकने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर चाकसू थाना पुलिस ने सोमवार को हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

थानाधिकारी मनोहर लाल ने बताया कि कोटखावड़ क्षेत्र के राडोली निवासी गेंदीलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका भाई कृष्ण हलवाई का काम करता था और कई बार बिना बताए कई दिनों के लिए घर से चला जाता था। उसके पास मोबाइल फोन नहीं होने से परिजन उससे संपर्क भी नहीं कर पाते थे। परिजनों के अनुसार 24 अगस्त को सुबह करीब 6.30 बजे कृष्ण काम के लिए घर से

निकला था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वह अपने परिचित गोपाल लाल और संजू बैरवा के साथ बाइक पर जाता दिखाई दिया। जानकारी करने पर पता चला कि गोपाल के मोबाइल से कृष्ण ने अपने परिचित राजेन्द्र को फोन कर एक हजार रुपए उधार मांगे थे। रात 28 अगस्त की सुबह निमोडिया स्थित तलाई के पानी में कृष्ण का शव पड़ा मिला। सूचना पर चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोब्यूरी में रखवाया। 29 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि कृष्ण के साथ गए गोपाल और संजू से पूछताछ करने पर दोनों अलग-अलग कहानियां बताते रहे और टालमटोल करते रहे। इस पर परिजनों ने दोनों पर कृष्ण की हत्या का संदेह जताया है।



आरोपी एएसआई सुखदेव जाट

की रिश्तत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने रिश्तत मांग का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान एएसआई सुखदेव जाट द्वारा परिवारिया से दस हजार रुपए की रिश्तत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने ट्रेप कार्रवाई की योजना बनाई। जिस पर एसीबी की पुलिस

- आरोपी ने दर्ज मुकदमे में मदद करने और आरोपी की गिरफ्तारी के बदले मांगी थी घूस**

उपाधीक्षक अर्चना मीणा के नेतृत्व में ट्रेप टीम गठित की गई। एसीबी की टीम ने मंगलवार को कार्रवाई के दौरान एएसआई सुखदेव जाट ने परिवारिया से दस हजार रुपए की रिश्तत प्राप्त की और उसे अपनी पहनी हुई खाकी वर्दी की पेंट की जेब में रख लिया। इशारा मिलते ही एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया और उसके कब्जे से रिश्तत की पूरी रकम बरामद कर ली।

एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परिवारिया से संबंधित कार्य और मुकदमा आरोपी एएसआई के पास लंबित था। रिश्तत लेने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने के बाद एसीबी टीम उससे पूछताछ कर रही है।

जेडीए ने न्यू सांगानेर रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा

हाईकोर्ट में जेडीए की ओर से कहा गया कि सोमवार को गुर्जर की थड़ी से सोडाला के बीच 700 मीटर दूरी अतिक्रमण हटाए गए हैं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से न्यू सांगानेर रोड पर सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक और स्थानीय विश्वा नगर में अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना में जेडीए ने शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी। जेडीए की ओर से अधिकवक्ता अमित कुडी ने शपथ पत्र में कहा कि जेडीए ने सोमवार को गुर्जर की थड़ी से सोडाला तक की ओर कार्रवाई करते हुए रोड के दोनों ओर 700 मीटर दूरी में 100 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण हटाए हैं। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जिन संपत्तियों को तोड़ने के लिए निशान लगाए थे, वहां जेडीए को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके चलते कार्रवाई में समय लगा। जेडीए ने पूरी रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत से चार सप्ताह का समय

मांगा है। जेडीए ने कहा कि इस रोड पर 9 स्कीम नगर निगम की हैं और इनमें प्रभावितों की ओर से 100 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। जेडीए ने इन आपत्तियों को नगर निगम के पास परीक्षण के लिए भेजा है। इसके साथ ही जेडीए ने मामले में मदनलाल कुमावत के पक्षकार बनने की अर्जों पर जवाब दिया है। जेडीए ने कहा कि उसके पास सोसायटी का पट्टा है और ऐसे में उसे मामले में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। मामले से जुड़े अधिकवक्ता गीतेश जोशी ने बताया कि मास्टर प्लान में सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक की सड़क की चौड़ाई 100 फीट है और विश्वा नगर में रोड तीस फीट चौड़ी है। अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के चलते यहां सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है।

ज्वैलर की आंखों में मिर्च गहने लूटने वाले गिरफ्तार

जयपुर। जामडोली थाना पुलिस ने ज्वैलरी कारोबारी की आंखों में सूखी लाल मिर्च डालकर चांदी के आभूषणों से भरा बैग लूटने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए चांदी के जेवर और वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा के अनुसार जामडोली निवासी ज्वैलर आकाश खंडेलवाल ने 2 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 अक्टूबर की रात करीब 8 से 8.30 बजे दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौटते समय जामडोली फोर्ट के पास बिना नंबर बाइक सवार तीन युवकों ने उनकी

आंखों में सूखी लाल मिर्च डाल दी और चांदी के आभूषणों से भरा हैंडबैग लूटकर फरार हो गए। जिस पर गठित टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने राहुल गुर्जर (19), निवासी आतेला, भावरू और अंकित सैनी उर्फ गोल्ड उर्फ जंगली (19), निवासी देवती बांध, अलवर, हाल जयपुर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 जोड़ी चांदी की चरकी और 2 जोड़ी चांदी की पायले बरामद हुईं। वारदात में प्रयुक्त स्प्लेंडर प्लस बाइक भी जब्त की गई। जांच में सामने आया कि बाइक प्रताप नगर थाने में दर्ज मुकदमे में चोरी की वांछित थी।

परकोटे में ट्रैफिक-सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे पुलिस व निगम

दोनों विभागों ने जयपुर के व्यापार मंडलों के साथ सुगम आवागमन और ट्रैफिक प्रबंधन पर चर्चा की

जयपुर। आगामी पर्यटन सीजन, दशहरा और दीपावली सहित प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों को देखते हुए जयपुर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। परकोटा क्षेत्र में सुगम यातायात, पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

पुलिस उपायुक्त उत्तर करण शर्मा ने बताया कि बैठक में पुलिस, यातायात पुलिस, नगर निगम, पर्यटन विभाग और व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना और जयपुर को पर्यटकों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित शहर बनाना है।

वन-वे और भारी वाहनों पर रोक



पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंगलवार को आगामी त्यौहारों को लेकर चर्चा की गई।

प्रमुख बाजारों में यातायात दबाव कम करने के लिए जरूरत के अनुसार एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। व्यस्त समय में भारी एवं मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाजारों के

आसपास उपलब्ध मैदानों में अस्थायी पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। अवैध पार्किंग रोकने के लिए नियमित रूप से टोइंग क्रैन तैनात की जाएंगी। सड़कों और फुटपाथों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए

नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीमें अभियान चलाएंगी। दुकानों के बाहर सामान फैलाकर यातायात बाधित करने पर भी रोक लगाई जाएगी। इस संबंध में व्यापारियों से भी सहमति ली गई है।

ई-रिक्शा और ऑटो के लिए तय होंगे रूट

भीड़ नियंत्रण के लिए ई-रिक्शा और ऑटो के लिए निर्धारित मार्ग एवं क्षेत्र तय किए जाएंगे। यात्रियों के उत्तरने और चढ़ने के लिए प्रवेश एवं निकास द्वारों पर अलग-अलग उतारने-चढ़ाने के स्थान निर्धारित किए जाएंगे। बाजारों में अतिरिक्त होमगार्ड तैनात करने तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाने की कार्ययोजना भी तैयार की गई है। व्यापारियों ने बाजारों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न सुझाव दिए, जिन पर अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर प्रशासन एवं यातायात प्रदीप मोहन शर्मा, पुलिस उपायुक्त यातायात प्रवीण नायक मुनावत, पर्यटन विभाग और नगर निगम सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा जयपुर व्यापार महासंघ के सुभाष गोयल, सुरेश सैनी, हरीश केडिया, सुरेंद्र बज सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।

“प्रभास” ब्रांड का 1869 लीटर घी सील किया

जयपुर। ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने मंगलवार को मुरलीपुरा स्थित आरपी एंजैसीज पर कार्रवाई कर 1869 लीटर प्रभास ब्रांड घी सीज किया। घी की गुणवत्ता में मिलावट की आशंका के चलते विभाग की टीम ने मौके पर उपलब्ध पूरे स्टॉक को सीज करने की कार्रवाई की। घी का निर्माण टीसीआई एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा किया जाता है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चुटवेंदी और अभिहित अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने प्रभास ब्रांड घी का नमूना लेने के साथ प्रतिष्ठान से गोवर्धन काउ धी के नमूने भी लिए। अभिहित अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के अनुसार दोनों ब्रांड के नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अमेरज को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलाने के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए जा रहे नमूनों की जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।